

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

भाग - 4

17. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन प्रभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिश

18. राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।

recommended

for
Approval

Sh

16/12/16

तिथि.....

स्थान.....

सुरेश चन्द्र
मुख्य वन संरक्षक, जी.
वन (संरक्षण) ३०
उ० १

हस्ताक्षर.....

नाम और पद नाम.....

सरकारी मोहर.....